जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / स्टोर / एफ.आर. / 2022 / 407 दिनांक 2/3/22

निविदा – सूचना
(वस्तु समूहों की आपूर्ति, रिपेयरिंग कार्य एवं वार्षिक रख रखाव कार्य)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में एक वर्ष की समयावधि के लिये प्रशासकीय कार्यालय एवं विभिन्न अध्ययनशालाओं में निम्नानुसार वस्तुओं के समूहों की आपूर्ति, रिपेयरिंग कार्य एवं वार्षिक रख रखाव कार्यों के लिये संबंधित इच्छुक फर्मों से विश्वविद्यालय में पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित है :–

क्र.	कार्य समूह का नाम	ग्रुप कोड
1	फोटोकॉपियर / प्रिन्टर / रेसोग्राफ इंक, टोनर, कार्ट्रिज, मास्टर रोल, यू.पी.एस. एवं बैटरी इत्यादि का प्रदाय।	A
2	फ्रिज, ए.सी., वाटर कूलर, वाटर प्योरीफायर आदि का रिपेयरिंग कार्य / वार्षिक मेन्टीनेन्स कार्य।	B
3	प्रिन्टर, कम्प्यूटर, फोटोकॉपियर, रेसोग्राफ, यू.पी.एस. का रिपेयरिंग कार्य / वार्षिक मेन्टीनेन्स कार्य।	C
4	विश्वविद्यालय में दिन – प्रतिदिन लगने वाली विभिन्न प्रकार की विद्युत सामग्री का प्रदाय एवं विद्युत रिपेयरिंग कार्य।	D
5	लकड़ी के फर्नीचर का प्रदाय एवं लकड़ी के फर्नीचर की मरम्मत कार्य आदि।	E
6	रु. एक लाख राशि से कम के विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक इक्यूपमेन्ट का प्रदाय।	F
7	सेनेट्री फिटिंग से संबंधित सामग्री, पुताई सामग्री एवं हार्डवेयर सामग्री का प्रदाय तथा प्लम्बर / फिटिंग कार्य।	G
8.	पर्दे का कपड़ा एवं सिलाई, पर्दे की रोड, एवं फिटिंग का कार्य, फलोर मैट / कारपेट, वेनेशियन ब्लाइंड, एल्युमिनियम पार्टीशन का प्रदाय	H

फर्मो के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र एवं सामान्य शर्तें विश्वविद्यालय की बेबसाइट www.jiwaji.edu से डाउनलोड की जा सकती है। दर्शाये गये प्रत्येक कार्य समूह के अंतर्गत पंजीकरण हेतु शुल्क रु. 2000/– (वापसी योग्य नही) प्रति कार्य समूह की दर से देय होगा। पंजीकरण शुल्क हेतु कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम से देय डी.डी. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित आवेदन पत्र पर फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन सील्ड लिफाफे में विश्वविद्यालय कार्यालय में केवल (पंजीकृत पोस्ट / स्पीड पोस्ट) द्वारा पहुँचने की अंतिम तिथि 22/3/22 है।

कुलसचिव

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विश्वविद्यालय में फर्मों के पंजीकरण हेतु निविदा

चैक लिस्ट

आवेदक फर्म द्वारा प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे में निम्नानुसार क्रम में अभिलेख व्यवस्थित करके संलग्न किये जाएंगे :-

1. पंजीकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम देय हो।
2. फर्मो के पंजीकरण हेतु निविदा की सामान्य शर्तो का प्रपत्र जिसके पृष्ठ क्र. 1, 2 एवं 3 में निर्धारित स्थान पर आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के सील सहित हस्ताक्षर अंकित हो।
3. आवेदन पत्र समस्त प्रविष्टियों एवं आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर तथा सील सहित।
4. फर्म को आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये PAN नम्बर की छायाप्रति।
5. एसेसमेन्ट वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के लिये इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति।
6. पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के ऑडिट स्टेटमेन्ट की प्रति।
7. फर्म को वाणिज्यिक विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी किये गये **G.S.T** प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8. फर्म का शॉप एस्टेबिलिशमेंट एक्ट अथवा अन्य लागू अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से पंजीयन के प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
9. यदि आवेदक फर्म के पास कार्य समूह में अंकित किसी सामग्री के निर्माता की डीलरशिप अथवा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो ऐसे प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / स्टोर / एफ.आर. / 2022 / 407 दिनांक 2/3/22

वस्तु समूहों की आपूर्ति, रिपेयरिंग कार्य एवं वार्षिक रख रखाव कार्य हेतु निविदा
(इसे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करके आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके लिफाफे में रखा जायें)

निविदा की सामान्य शर्ते

यह निविदा जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में एक वर्ष की समयावधि के लिये प्रशासकीय कार्यालय एवं विभिन्न अध्ययनशालाओं में निम्नानुसार वस्तुओं के समूहों की आपूर्ति, रिपेयरिंग कार्य एवं वार्षिक रख–रखाव आदि कार्यो के लिये संबंधित इच्छुक फर्मों से पंजीकरण हेतु आमंत्रित की गई है –

क्र.	कार्य समूह का नाम	ग्रुप कोड
1	फोटोकॉपियर / प्रिन्टर / रेसोग्राफ इंक, टोनर, कार्ट्रिज, मास्टर रोल, यू.पी.एस. एवं बैटरी इत्यादि का प्रदाय।	A
2	फ्रिज, ए.सी., वाटर कूलर, वाटर प्योरीफायर आदि का रिपेयरिंग कार्य/ वार्षिक मेन्टीनेन्स कार्य।	B
3	प्रिन्टर, कम्प्यूटर, फोटोकॉपियर, रेसोग्राफ, यू.पी.एस. का रिपेयरिंग कार्य/ वार्षिक मेन्टीनेन्स कार्य।	C
4	विश्वविद्यालय में दिन – प्रतिदिन लगने वाली विभिन्न प्रकार की विद्युत सामग्री का प्रदाय एवं विद्युत रिपेयरिंग कार्य।	D
5	लकड़ी के फर्नीचर का प्रदाय एवं लकड़ी के फर्नीचर की मरम्मत कार्य आदि।	E
6	रु. एक लाख राशि से कम के विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक इक्यूपमेन्ट का प्रदाय।	F
7	सेनेट्री फिटिंग से संबंधित सामग्री, पुताई सामग्री एवं हार्डवेयर सामग्री का प्रदाय तथा प्लम्बर / फिटिंग कार्य।	G
8.	पर्दे का कपड़ा एवं सिलाई, पर्दे की रोड, एवं फिटिंग का कार्य, फलोर मैट / कारपेट, वेनेशियन ब्लाइंड, एल्युमिनियम पार्टीशन का प्रदाय	H

1. विश्वविद्यालय में पंजीकरण के उपरान्त फर्म द्वारा एकल निविदा एवं सीमित निविदा प्रक्रिया में अपनी निविदा द्वारा सहभागिता की जा सकती है।
2. निविदाकर्ता को आयकर विभाग द्वारा जारी PAN नम्बर की प्रति एवं फर्म के एसेसमेंट वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जाएगी।
3. निविदाकर्ता को फर्म के पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 ऑडिट स्टेटमेन्ट की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदाकर्ता फर्म को शॉप एस्टेबिलिशमेंट एक्ट अथवा अन्य लागू अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जाएगी।

आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर एवं सील

5. फर्म का मध्य प्रदेश वाणिज्यक कर विभाग में अनिवार्यतः पंजीकरण होना चाहिए। **G.S.T** प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जाएगी।
6. यदि निविदाकर्ता के पास कार्य समूह में अंकित किसी सामग्री के निर्माता की डीलरशिप अथवा डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त है तो ऐसे प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जाए।
7. निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम से सीलबन्द लिफाफे में अंतिम तिथि दिनांक ....22/3/22.... तक अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना चाहिये। लिफाफे के ऊपर **''ग्रुप कोड .... में पंजीकरण हेतु निविदा''** स्वच्छ अक्षरों में अंकित किया जाएगा। यदि किसी फर्म द्वारा एक से अधिक कार्य समूह में पंजीकरण के लिये आवेदन किया जा रहा है तो लिफाफे के ऊपर संबंधित कार्य समूह के ग्रुप कोड का स्पष्ट पृथक – पृथक उल्लेख किया जाएगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे।
8. फर्मो के पंजीकरण हेतु निविदा प्रपत्र केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही विश्वविद्यालय में प्राप्त किये जाएंगे। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
9. प्रत्येक कार्य समूह के लिये पृथक – पृथक पंजीकरण शुल्क राशि रु. 2000/– (वापसी योग्य नही) है। पंजीकरण शुल्क राशि हेतु कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न किया जाएगा। बिना पंजीकरण शुल्क ड्राफ्ट के प्राप्त हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। एक से अधिक कार्य समूह में पंजीकरण हेतु प्रति कार्य समूह रु. 2000/– की दर से गणना अनुसार राशि का सम्मिलित ड्राफ्ट जमा किया जा सकता है।
10. एक से अधिक कार्य समूह में पंजीकरण हेतु पृथक – पृथक आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है परंतु ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र में आवेदन किये गये कार्य समूहों के स्पष्ट उल्लेख सहित कुल पंजीकरण शुल्क का ड्राफ्ट अनिवार्यतः संलग्न किया गया जाएगा।
11. निविदा की सामान्य शर्तो का प्रपत्र फर्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन का ही एक भाग है एवं इसमें उल्लेखित सामान्य शर्तों के परिपालन के लिये सहमति स्वरूप पृष्ठ क्र. 2 से 5 में निर्धारित स्थान पर आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के सील सहित हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। सामान्य शर्तो के हस्ताक्षरित प्रपत्र को आवेदन पत्र एवं पंजीकरण शुल्क के ड्राफ्ट के साथ संलग्न करके लिफाफे में सील किया जाएगा। यदि फर्मो के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ निविदा की सामान्य शर्तो का हस्ताक्षरित प्रपत्र संलग्न नहीं पाया जाता है अथवा आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर के बिना पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
12. फर्म द्वारा सामग्री स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग तक पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी एवं इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. विश्वविद्यालय में प्रदाय की गई सामग्री, रिपेयरिंग कार्य, वार्षिक रखरखाव कार्य के लिये केन्द्र/राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों द्वारा समय – समय पर अधिरोपित टैक्स एवं ड्यूटीज का भुगतान समय पर अनिवार्य रूप से करने का उत्तरदायित्व संबंधित पंजीकृत फर्म का होगा। कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा फर्म के देयक में से स्त्रोत पर कर (TDS) नियमानुसार काटा जायेगा।
14. पंजीकृत फर्म द्वारा प्रदाय की गई सामग्री की वारंटी अवधि में यदि कोई खराबी आती है तो उसे ठीक करने का दायित्व संबंधित प्रदायकर्ता फर्म का होगा।

आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर एवं सील

15. यदि फर्म द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/रिपेयरिंग गुणवत्ता में ठीक नहीं पायी जाती है एवं फर्म द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा फर्म को भुगतान की जाने वाली राशि में से यथोचित कटौती की जा सकेगी एवं फर्म का अनुबंध भी निरस्त किया जा सकेगा।
16. प्रत्येक पंजीकृत फर्म द्वारा केवल ओरिजनल निर्माता की निर्मित सामग्री ही प्रदाय की जाएगी। किसी पंजीकृत फर्म द्वारा डुप्लीकेट सामग्री प्रदाय किये जाने की स्थिति में उसका पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
17. यदि पंजीकृत फर्म विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार निर्धारित समयावधि में सामग्री प्रदाय करने/रिपेयरिंग करने में किसी कारणवश असमर्थ रहती है तो अन्य फर्म से सामग्री क्रय करने/रिपेयरिंग कराने का अधिकार कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय को होगा। ऐसी स्थिति में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी एवं फर्म का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
18. प्रत्येक पंजीकृत फर्म द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा क्रय/कार्य आदेशानुसार समस्त कार्य स्वयं किया जाएगा। कार्य की सब्लेटिंग अथवा अन्य फर्म से कार्य कराया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि निविदाकर्ता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो फर्म का अनुबंध निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में अन्य फर्म से कार्य कराने पर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी।
19. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को फर्मो के पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए किसी आवेदन अथवा समस्त आवेदनों को बिना किसी कारण बताए हुए स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का होगा।
21. फर्मो का पंजीकरण, तत्संबंधी सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की समयावधि तक वैध होगा। फर्मो के पंजीकरण की सूची विश्वविद्यालय की वेवसाइट www.jiwaji.edu पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
22. कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को निविदा में अंकित कार्य समूहों हेतु पंजीकृत फर्मो के अलावा किसी भी अन्य गैर पंजीकृत फर्म से सामग्री क्रय करने अथवा कार्य कराने का अधिकार होगा।
23. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में प्रकरण ग्वालियर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा।

कुलसचिव

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो को पढ़ लिया गया है एवं मैं उक्त समस्त शर्तो के परिपालन के लिये अपनी सहमति देता हूँ।

आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर एवं सील

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

फर्मो के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

1. फर्म का नाम :–...
2. प्रोपराइटर का नाम :–...
3. फर्म का पता :–...
4. दूरभाष क्रमांक :–...

क्र.	कार्य समूह का नाम	ग्रुप कोड
1	फोटोकॉपियर/प्रिन्टर/रेसोग्राफ इंक, टोनर, कार्ट्रिज, मास्टर रोल, यू.पी.एस. एवं बैटरी इत्यादि का प्रदाय।	A
2	फ्रिज, ए.सी., वाटर कूलर, वाटर प्योरीफायर आदि का रिपेयरिंग कार्य/ वार्षिक मेन्टीनेन्स कार्य।	B
3	प्रिन्टर, कम्प्यूटर, फोटोकॉपियर, रेसोग्राफ, यू.पी.एस. का रिपेयरिंग कार्य/ वार्षिक मेन्टीनेन्स कार्यं।	C
4	विश्वविद्यालय में दिन – प्रतिदिन लगने वाली विभिन्न प्रकार की विद्युत सामग्री का प्रदाय एवं विद्युत रिपेयरिंग कार्य।	D
5	लकड़ी के फर्नीचर का प्रदाय एवं लकड़ी के फर्नीचर की मरम्मत कार्य आदि।	E
6	रु. एक लाख राशि से कम के विभिन्न प्रकार के साइंटिफिक इक्यूपमेन्ट का प्रदाय।	F
7	सेनेट्री फिटिंग से संबंधित सामग्री, पुताई सामग्री एवं हार्डवेयर सामग्री का प्रदाय तथा प्लम्बर/फिटिंग कार्य।	G
8.	पर्दे का कपड़ा एवं सिलाई, पर्दे की रोड, एवं फिटिंग का कार्य, फलोर मैट/कारपेट, वेनेशियन ब्लाइंड, एल्युमिनियम पार्टीशन का प्रदाय	H

5. फर्म के द्वारा उपरोक्तानुसार जिस कार्य समूह/समूहों में पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका ग्रुप कोड अंकित करें :– ....
....

6. पंजीकरण शुल्क का विवरण : रु. .... ड्राफ्ट क्र........................... दिनांक ....
बैंक का नाम ....

<u>**(यदि एक से अधिक कार्य समूहों हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन किया गया है तो प्रति कार्य समूह रु. 2000/– पंजीकरण शुल्क की दर से गणना करके कुल राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाएगा।)**</u>

आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर एवं सील

7. फर्म का आयकर विभाग द्वारा जारी PAN नम्बर अंकित करें (कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–..

8. क्या वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का ऑडिट स्टेटमेन्ट की प्रति संलग्न की गई है। (हा/नही) :–..

9. क्या एसेसमेंट वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के इन्कमटैक्स रिटर्न की प्रति संलग्न की जा रही है। (हॉ/नहीं) :–..

10. फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी **G.S.T** नम्बर पंजीकरण अंकित करें। (कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–..

11. फर्म का शॉप एस्टेबिलिशमेंट एक्ट अथवा अन्य लागू अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से पंजीकरण क्रमांक अंकित करें। (कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–..

12. क्या फर्म निविदा की शर्तो के अनुसार पंजीकरण एवं कार्य करने हेतु सहमत है ? (हॉ/नहीं) :–..

13. फर्म के प्रतिनिधि का नाम एवं टेलीफोन नम्बर जिनसे कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी हेतु सम्पर्क किया जा सकता है। :–..

14. फर्म के कार्यालय का फोन नम्बर :–..

15. फर्म के कार्यालय का फैक्स नम्बर :–..

16. फर्म से सम्पर्क हेतु E-mail ID :–..

नोट :– संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों पर सत्यापन स्वरूप आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर एवं सील अनिवार्यतः अंकित किया जाए।

आवेदक फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर

नाम ....

सील..